Tel.: 22616925 **WEB SITE: www.spfo.gov.in**
FAX: 022 – 2261 6202 **E-mail: spfo @ mtnl.net.in, /spfoac@gmail.com**

OFFICE OF THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND COMMISSIONER

"KRUPANIDHI" 3RD FLOOR, 9, WALCHAND HIRACHAND MARG, BALLARD ESTATE, MUMBAI – 400 001.

THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND SCHEME, 1996

Application Form for **(a) Final Withdrawal (F.W.) for Living and Deceased (b) Non-Refundable Withdrawal (N.R.W.)** (i) under Para 58-A for un-employment-10% of member's own accumulation (ii) **58B for Illness-25% of member's own accumulation** (iii) 58-C (a) for **Purchase/construction -75%** Maximum of employer and members own accumulation (b) for additions/repairs/alteration -25% of members own accumulation and (iv) 58-E for **Marriage/Higher Education-50% of member's own accumulation.**

NOTE : FOR NRW COMPLETE PART-I, II, IV ONLY and FOR F.W.COMPLETE PART-I, III, IV ONLY

PART-I

1. Name of Seaman _____ **CDC No.** _____
(IN BLOCK LETTERS)

Regn. No. _____ **Date of Birth** _____ **2. Father's Name** _____

PART-II

(FOR NON-REFUNDABLE WITHDRAWAL)

2. Amount of Non-Refundable withdrawal required Rs. _____ Under Para 58-A, 58-B, 58-C, 58-E
(Please strike out whichever is no applicable)

3. Purpose for which withdrawal is required _____
(Proof of same to be attached. For Construction of Dwelling House enclose-
(i) No Objection Certificate from concerned Authority, (ii) Approved Plan, (iii) Cost of Estimate certificate attested from Competent Authority, (iv) For Purchase of New House/Flat Attested copy of Sale Deed, for illness doctor certificate and for marriage card/Higher education certificate.

PART-III
(FOR FINAL WITHDRAWL LIVING AND DECEASED SEAMAN)

4. Applicant name & relationship with the Seaman (if Deceased) (IN BLOCK LETTERS)
Shri/Smt/Kum_____

5. (a) Whether CDC/Regn. Cancelled: YES/NO (If Yes attach Xerox copy of the Cancellation Order **OR death certificate. If seaman was expired)**

OR

(b) Reasons for claiming final withdrawal of Provident Fund _____

PART-IV

6. Remittance of Amount through RTGS / NEFT
(a) Name of the Bank _____
(b) Branch _____ (c) IFSC / RTGS Code _____
(d) Saving Bank Account No. _____ (e) Contact No. _____
(f) E-mail ID: _____

7. Permanent Add :

Place **:**
Date **:**

Sign/L.H.T.I. of the Applicant
*Sign/R.H.T.I. of the Applicant

Note : 1)Self attestation :
The seafarers are now required to submit self attested documents along with their Final withdrawal/Non Refundable withdrawal application for the purpose of Withdrawal of Provident fund dues affixing his/her signature, name and date thereon and shall also submit documentary evidence by producing any one of attested photocopy of Bank Pass Book, Pan Card, Aadhar Card, Pass Port or Driving License.

टेलीफोन: 022 – 22662044 / 22616925
टेलीफोन: 022 – 6220402 (आयुक्त)
ई: मेल: spfo-commr@spfo.gov.in
वेब: www.spfo.gov.in
फैक्स: 022 – 22616202

Tel: 022 – 22662044 / 22616925
Tel: 022 – 22620402 (Commissioner)
Email: spfo-commr@spfo.gov.in
Web: www.spfo.gov.in
Fax: 022 – 22616202

आयुक्त नाविक भविष्य निधि कार्यालय, मुंबई
पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
OFFICE OF THE SEAMENS PROVIDENT FUND COMMISSIONER
(UNDER MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS)

कृपया सभी पत्र व्यवहार आयुक्त के पते पर करें
All Replies should be addressed to the Commissioner

कृपानिधि, 3रा माला, / Krupanidhi, 3rd
9, वालचंद हीराचंद मार्ग, / W. H. Marg
बेलार्ड एस्टेट / Ballard Estate,
मुंबई - 400 001 / Mumbai - 400 00

Ref No:69/IX/796/2026 **Date: 11 AUG 2026**

Office order No. 31 /2026

In supersession of the previous Office Orders, the undersigned hereby directs that, in accordance with the directives issued during the 154th meeting of the Board of Trustees held on 09.01.2026, the old check list has been amended to make the payment process easier and more efficient for the seafarers. Provident Fund dues shall be disbursed exclusively through electronic modes. In this regard, suggestions on the checklist were sought from all the members of the Board of Trustees, based on which this check list has been newly formed. The details of the new check list are mentioned below:

1.	FW Checklist of living Seaman below 60 years.	**ANNEXURE 1**
2.	FW Checklist of deceased seaman.	**ANNEXURE 2**
3.	NRW Checklist for un-employment.	**ANNEXURE 3**
4.	NRW Checklist for illness.	**ANNEXURE 4**
5.	NRW Checklist for purchase of house / flat 58-C (1).	**ANNEXURE 5**
6.	NRW Checklist for construction of house on this land or continuing incomplete construction. -UNDER PARA 58 – C (1).	**ANNEXURE 6**
7.	NRW Checklist for purchase of house site – UNDER PARA 58 -C (1).	**ANNEXURE 7**
8.	NRW Checklist for repairing / renovation of house. UNDER PARA 58 -C (8).	**ANNEXURE 8**
9.	NRW Checklist for Marriage / Higher Education – UNDER PARA 58 -E.	**ANNEXURE 9**
10.	FW Checklist for living seaman above 60 years.	**ANNEXURE 10**

11/8/26

(Capt. Nitin Mukesh)
Commissioner.

Copy to:

i. Office Oder Register.
ii. Circular to Officers / Staff.
iii. Circular to NUSI and FUSI, also uploaded to SPFO and DGS website.

SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANIZATION, MUMBAI

Revised checklist vide Office Order No. 31 /2026

Date: 11 AUG 2026

Annexure –1

LIST OF DOCUMENTS FOR APPLICATION OF FINAL WITHDRAWAL OF PROVIDENT FUND DUES (LIVING SEAMEN below 60 years of age)

-

Sr No.	REVISED CHECKLIST	REMARK
1	Apply online on SPFO Portal https://spfo.gov.in	
2	Uploaded Self-attested photocopy of all pages of CDC Book (Old / New).	
3	Upload cancelled Bank Cheque Leaf (name of the claimant to be mentioned) or photocopy of Bank Passbook.	
4	Single operated Bank a/c of Seafarer or Joint account with nominee.	
5	Name of Seafarer as it appears on CDC Book and Bank Account should be same.	
6.	Upload Self-attested photocopy of CDC Cancellation Order or letter from Shipping Master for Final Withdrawal of Provident Fund (for those seafarers below 60 yrs claiming FW)	
7.	If Address differs with SPFO records, proof of address shall be attached in such case.	

Date -

Place -

Signature of applicant

Name & CDC No.

SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANIZATION, MUMBAI

Revised checklist vide Office Order No. 31/2026

Date: 11 AUG 2026

Annexure – 2

LIST OF DOCUMENTS FOR APPLICATION OF FINAL WITHDRAWAL OF PROVIDENT FUND DUES (DECEASED SEAMAN)

-

Sr No.	REVISED CHECKLIST	REMARK
1	Self-attested Application Form by the Claimant / Nominee	
2	Self-attested photocopy of all pages of CDC Book (Old / New)	
3	Self-attested cancelled Bank Cheque Leaf (name of the claimant to be mentioned) or photocopy of Bank Passbook	
4	Self-attested photocopy of Death Certificate of the deceased seafarer.	
5	If Address differs with SPFO records, proof of address shall be attached in such case.	
6	Ensure the Final Withdrawal Application is completed in all respect.	

Date -

Place -

Signature of applicant

Name & CDC No.

SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANIZATION, MUMBAI

Revised checklist vide Office Order No. 31 /2026

Date: 11 AUG 2026

Annexure - 3

List of Documents for application of non-refundable withdrawal for un- employment Eligible after completion of 5 yrs Membership (10% of Members own contributions) Seamen should be un-employed for more than 06 months.

Sr No.	REVISED CHECKLIST	REMARK
1.	Apply online on SPFO Portal https://spfo.gov.in	
2.	Upload Self attested photocopy of CDC Book wherein last voyage is mentioned	
3.	Upload cancelled Bank Cheque Leaf (name of the claimant to be mentioned) or photocopy of Bank Passbook.	
4.	Single operated Bank a/c of Seafarer or Joint account with nominee.	

Date -

Place -

Signature of applicant

Name & CDC No.

SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANIZATION, MUMBAI

Revised checklist vide Office Order No. 31 /2026

Date: 11 AUG 2026

ANNEXURE - 4

LIST OF DOCUMENTS FOR APPLICATION OF NON-REFUNDABLE WITHDRAWAL FOR ILLNESS – (25% OF Member's own contributions, Withdrawal after every 2 yrs)

Sr. No.	REVISED CHECKLIST	REMARKS
1.	Apply online on SPFO Portal https://spfo.gov.in	
2.	Upload Self attested photocopy of CDC Book.	
3.	Upload Doctors certificate for medical treatment required for seafarer & family.	
4.	Upload cancelled Bank Cheque Leaf (name of the claimant to be mentioned) or photocopy of Bank Passbook.	
5.	Single operated Bank a/c of Seafarer or Joint account with nominee.	

Date -

Place -

Signature of applicant

Name & CDC No.

SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANIZATION, MUMBAI

Revised checklist vide Office Order No. 31 /2026

Date: 11 AUG 2026

Annexure - 5

LIST OF DOCUMENTS FOR APPLICATION OF NON-REFUNDABLE WITHDRAWAL FOR PURCHASE OF HOUSE / FLAT 58-C (1) – Eligible after completion of 5 yrs membership (36 months Pay + Leave Pay/75% of Employer and own contribution whichever will be less).

Sr. No.	REVISED CHECKLIST	REMARKS
1.	Apply online on SPFO Portal https://spfo.gov.in	
2.	Upload Self attested photocopy of CDC Book.	
3.	Upload photocopy of agreement of purchase of flat / House.	
4.	Upload cancelled Bank Cheque Leaf (name of the claimant to be mentioned) or photocopy of Bank Passbook.	
5.	Single operated Bank a/c of Seafarer or Joint account with nominee.	

Date -

Place -

Signature of applicant

Name & CDC No.

SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANIZATION, MUMBAI

Revised checklist vide Office Order No. 31 /2026

Date: 11 AUG 2026

Annexure – 6

LIST OF DOCUMENTS FOR APPLICATION OF NON-REFUNDABLE WITHDRAWAL UNDER PARA 58 – C (1)

FOR CONSTRUCTION OF HOUSE ON HIS OWN LAND OR CONTINUING INCOMPLETE CONSTRUCTION - Eligible after completion of 5 yrs membership (36 months Pay + Leave Pay / 75% of Employer and own contribution whichever will be less).

Sr. No.	REVISED CHECKLIST	REMARKS
1.	Apply online on SPFO Portal https://spfo.gov.in	
2.	Upload Self attested photocopy of CDC Book.	
3.	Upload self-attested photocopy of NOC from Gram Panchayat / Tahsil Office / Competent authority	
4.	Upload cancelled Bank Cheque Leaf (name of the claimant to be mentioned) or photocopy of Bank Passbook.	
5.	Single operated Bank a/c of Seafarer or Joint account with nominee.	

Date -

Place -

Signature of applicant

Name & CDC No.

SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANIZATION, MUMBAI

Revised checklist vide Office Order No. 31 /2026

Date: 11 AUG 2026

Annexure - 7

LIST OF DOCUMENTS FOR APPLICATION OF NON-REFUNDABLE WITHDRAWAL UNDER PARA 58 – C (1)

FOR PURCHASE OF HOUSE SITE - Eligible after completion of 5 yrs membership (36 months Pay + Leave Pay / 75% of Employer and own contribution whichever will be less).

Sr. No.	REVISED CHECKLIST	REMARKS
1.	Apply online on SPFO Portal https://spfo.gov.in	
2.	Upload Self attested Photocopy of CDC Book.	
3.	Upload Self attested Photocopy of Agreement of Sale duly Registered with Competent authority	
4.	Upload cancelled Bank Cheque Leaf (name of the claimant to be mentioned) or photocopy of Bank Passbook.	
5.	Single operated Bank a/c of Seafarer or Joint account with nominee.	

Date -

Place -

Signature of applicant

Name & CDC No.

SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANIZATION, MUMBAI

Revised checklist vide Office Order No. 31 /2026

Date: 11 AUG 2026

Annexure – 8

LIST OF DOCUMENTS FOR APPLICATION OF NON-REFUNDABLE WITHDRAWAL UNDER PARA 58 – C (8)

FOR REPAIRING / RENOVATION OF HOUSE – Eligible after completion of 5 yrs of sanction of earlier withdrawal for construction of house (25% of own contribution).

Sr. No.	REVISED CHECKLIST	REMARKS
1.	Apply online on SPFO Portal https://spfo.gov.in	
2.	Upload Self attested Photocopy of CDC Book.	
3.	Upload Self declaration estimates for repairing of house	
4.	Upload cancelled Bank Cheque Leaf (name of the claimant to be mentioned) or photocopy of Bank Passbook.	
5.	Upload Single operated Bank a/c of Seafarer or Joint account with nominee.	

Date -

Place -

Signature of applicant

Name & CDC No.

SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANIZATION, MUMBAI

Revised checklist vide Office Order No. 31 /2026

Date: 11 AUG 2026

Annexure - 9

LIST OF DOCUMENTS FOR APPLICATION OF NON-REFUNDABLE WITHDRAWAL UNDER PARA 58 – E

For Marriage/Higher Education – Not more than 2 withdrawals in life time (50% of own contribution).

Sr. No.	REVISED CHECKLIST	REMARKS
1.	Apply online on SPFO Portal https://spfo.gov.in	
2.	Upload Self attested Photocopy of CDC Book.	
3.	Upload Self declaration for his education or marriage.	
4.	Upload cancelled Bank Cheque Leaf (name of the claimant to be mentioned) or photocopy of Bank Passbook.	
5.	Upload Single operated Bank a/c of Seafarer or Joint account with nominee.	

Date -

Place -

Signature of applicant

Name & CDC No.

SEAMEN'S PROVIDENT FUND ORGANIZATION, MUMBAI

Revised checklist vide Office Order No. 31 /2026

Date: 11 AUG 2026

Annexure - 10

New Annexure No.10 added.

LIST OF DOCUMENTS FOR APPLICATION OF FINAL WITHDRAWAL OF PROVIDENT FUND DUES (LIVING SEAMAN ABOVE 60 YEARS)

For retirement on superannuation/ voluntary/ medically unfit.

Sr. No.	REVISED CHECKLIST	REMARKS
1.	Apply online on SPFO Portal https://spfo.gov.in	
2.	Upload Self -attested photocopy of all pages of CDC Book (Old / New).	
3.	Single operated Bank a/c of Seafarer or joint with nominee.	
4.	Name of Seafarer as it appears on CDC Book and Bank Account is the same.	
5.	If Address differs with SPFO records proof of address shall be attached in such case.	
6.	Ensure the Final Withdrawal Application is completed in all respect.	

Date -

Place -

Signature of applicant

Name & CDC No.

टेलीफोन: 022 – 22662044 / 22616925
टेलीफोन: (022 – 6220402 (आयुक्त)
ई मेल: spfo-comm@spfo.gov.in
वेब: www.spfo.gov.in
फैक्स: 022 – 22616202

Tel: 022 – 22662044 / 22616925
Tel: 022 – 22620402 (Commissioner)
Email: spfo-comm@spfo.gov.in
Web: www.spfo.gov.in
Fax: 022 – 22616202

आयुक्त नाविक भविष्य निधि कार्यालय, मुंबई
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
OFFICE OF THE SEAMENS PROVIDENT FUND COMMISSIONER
(UNDER MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS)

कृपया सभी पत्र व्यवहार आयुक्त के पते पर करें
All Replies should be addressed to the Commissioner

कृपानिधि, 3रा माला, / Krupanidhi, 3rd
9, वालचंद हीराचंद मार्ग, / W. H. Marg
बैलार्ड एस्टेट / Ballard Estate,
मुंबई - 400 001 / Mumbai - 400 00

संदर्भ संख्या: VIII/353 /2026 **दिनांक: 11 AUG 2026**

कार्यालय ज्ञापन संख्या: 31 /2026

पूर्व में जारी किए गये कार्यालय आदेशों को रद्द करते हुए अधोहस्ताक्षरी यह निर्देशित करते है कि, न्यासी मंडल की दिनांक 09.01.2026 को 154 वीं बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार पुरानी चेक लिस्ट में सुधार करके नई चेक लिस्ट बनाई जाए जिससे कि, नाविकों के भुगतान की प्रक्रिया आसान हो सके और भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही किया जाए। इस संदर्भ में न्यासी मंडल के सभी सदस्यों से चेक लिस्ट पर सुझाव लिए गए, जिसके आधार पर नए सिरे से यह चेक लिस्ट बनाई गई है। उपर्युक्त चेक लिस्ट का विवरण निम्न रूप से नीचे दिए गया है:

1. 60 साल से कम उम्र के जीवित नाविको के लिए अंतिम निकासी चेक लिस्ट। **अनुलग्नक 1**
2. मृतक नाविको के लिए अंतिम निकासी चेक लिस्ट। **अनुलग्नक 2**
3. बेरोजगारी के लिए अप्रतिदेय निकासी चेक लिस्ट। **अनुलग्नक 3**
4. बीमारी के लिए अप्रतिदेय निकासी चेक लिस्ट। **अनुलग्नक 4**
5. घर/ फ्लैट खरीदने के लिए अप्रतिदेय निकासी चेक लिस्ट 58-सी (1) के तहत । **अनुलग्नक 5**
6. अपनी जमीन पर घर बांधने या अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए अप्रतिदेय निकासी चेक लिस्ट- पैरा 58सी (1) के तहत। **अनुलग्नक 6**
7. हाऊस साइट खरीदने के लिए अप्रतिदेय निकासी चेक लिस्ट-पैरा 58 सी (1) के तहत । **अनुलग्नक 7**
8. घर की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए अप्रतिदेय निकासी चेक लिस्ट- पैरा 58 सी. (8) के तहत । **अनुलग्नक 8**
9. विवाह या उच्च शिक्षण हेतु अप्रतिदेय निकासी चेक लिस्ट- पैरा 58 ई के तहत। **अनुलग्नक 9**
10. 60 साल से ज्यादा उम्र के जीवित नाविको के लिए अंतिम निकासी चेक लिस्ट। **अनुलग्नक 10**

भवदीय,
नितिन मुकेश
(कैप्टन नितिन मुकेश)
आयुक्त

प्रतिलिपिः

i. कार्यालय आदेश रजिस्टर.
ii. नाविक भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों/ कर्मचारियों को परिपत्रित करने हेतु.
iii. एस.पी.एफ.ओ. और डी.जी.एस. की आधिकारिक वेबसाईट के साथ एन.यू.एस.आई. और

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

कार्यालय आदेश संख्या 31 /2026 के अनुसार संशोधित चेक लिस्ट.

दिनांक: 11 AUG 2026

अनुलग्नक 1

भविष्य निधि की बकाया अंतिम निकासी के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची (60 वर्ष से कम आयु के जीवित नाविक)

क्रं. सं.	संशोधित चेक लिस्ट	टिप्पणी
1	एस.पी.एफ.ओ. पोर्टल https://spfo.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।	
2	सी.डी.सी. बुक (पुरानी / नई) के सभी पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड करें।	
3	रद्द किया हुआ बैंक चेक (जिस पर दावेदार का नाम अंकित हो) या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करें।	
4	नाविक का एकल बैंक खाता या नामांकित व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए।	
5	सी.डी.सी. बुक और बैंक खाते में नाविक का नाम समान होना चाहिए।	
6	भविष्य निधि के अंतिम निकासी के लिए सी.डी.सी. रद्द करने का आदेश या शिपिंग मास्टर से प्राप्त पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड करें (60 वर्ष से कम आयु वाले उन नाविकों के लिए जो अंतिम निकासी का दावा कर रहे हैं)।	
7	यदि पता नाविक भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड से अलग है, तो ऐसी स्थिति में पते का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।	

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर -

नाम एवं सी.डी.सी. नं. -

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

कार्यालय आदेश संख्या 31 /2026 के अनुसार संशोधित चेक लिस्ट.

दिनांक: 11 AUG 2026

अनुलग्नक 2

मृत नाविक के भविष्य निधि की बकाया अंतिम निकासी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

क्रं. सं.	**संशोधित चेक लिस्ट**	**टिप्पणी**
1	दावेदार / नामांकित व्यक्ति द्वारा स्व-सत्यापित आवेदन पत्र।	
2	सी.डी.सी. बुक (पुरानी / नई) के सभी पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।	
3	स्व-सत्यापित रद्द किया हुआ बैंक चेक (जिस पर दावेदार का नाम अंकित हो) या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करें।	
4	मृतक नाविक के मृत्यु प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।	
5	यदि पता नाविक भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड से अलग है, तो ऐसी स्थिति में पते का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।	
6	यह सुनिश्चित करें कि अंतिम निकासी आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो।	

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर -

नाम एवं सी.डी.सी. नं. -

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

कार्यालय आदेश संख्या 31 /2026 के अनुसार संशोधित चेक लिस्ट.

दिनांक: 11 AUG 2026

अनुलग्नक 3

बेरोजगारी के कारण गैर-वापसी योग्य भविष्य निधि निकासी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची (5 वर्ष की सदस्यता पूरी होने के बाद पात्र – सदस्य के स्वयं के अंशदान का 10%) नाविक का 06 महीने से अधिक समय से बेरोजगार होना अनिवार्य है।

क्रं. सं.	संशोधित चेक लिस्ट	टिप्पणी
1	एस.पी.एफ.ओ. पोर्टल https://spfo.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।	
2	सी.डी.सी. बुक के उस पृष्ठ की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड करें, जिसमें अंतिम जहाजी यात्रा का उल्लेख किया गया हो।	
3	रद्द किया हुआ बैंक चेक (जिस पर दावेदार का नाम अंकित हो) या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करें।	
4	नाविक का एकल बैंक खाता या नामांकित व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए।	

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर -

नाम एवं सी.डी.सी. नं. -

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

कार्यालय आदेश संख्या 31 /2026 के अनुसार संशोधित चेक लिस्ट.

दिनांक: 11 AUG 2026

अनुलग्नक 4

बीमारी के इलाज हेतु गैर-वापसी योग्य निकासी आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची (सदस्य के स्वयं के अंशदान का 25%, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर निकासी की अनुमति)

क्रं. सं.	संशोधित चेक लिस्ट	टिप्पणी
1	एस.पी.एफ.ओ. पोर्टल https://spfo.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।	
2	सी.डी.सी. बुक (पुरानी / नई) के सभी पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड करें।	
3	नाविक और उसके परिवार के लिए आवश्यक चिकित्सा उपचार हेतु डॉक्टर का प्रमाण पत्र अपलोड करें।	
4	रद्द किया हुआ बैंक चेक (जिस पर दावेदार का नाम अंकित हो) या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करें।	
5	नाविक का एकल बैंक खाता या नामांकित व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए।	

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर -

नाम एवं सी.डी.सी. नं. -

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

कार्यालय आदेश संख्या 31 /2026 के अनुसार संशोधित चेक लिस्ट.

दिनांक: 11 AUG 2026

अनुलग्नक 5

मकान/फ्लैट की खरीद के लिए गैर-वापसी योग्य निकासी आवेदन (58-सी (1)) हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची (5 वर्ष की सदस्यता पूरी होने के बाद पात्र – 36 महीने का वेतन + अवकाश वेतन / अथवा नियोक्ता एवं स्वयं के अंशदान का 75%, जो भी कम हो)

क्रं. सं.	संशोधित चेक लिस्ट	टिप्पणी
1	एस.पी.एफ.ओ. पोर्टल https://spfo.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।	
2	सी.डी.सी. बुक (पुरानी / नई) के सभी पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड करें।	
3	फ्लैट / मकान की खरीद के समझौते की फोटोकॉपी अपलोड करें।	
4	रद्द किया हुआ बैंक चेक (जिस पर दावेदार का नाम अंकित हो) या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करें।	
5	नाविक का एकल बैंक खाता या नामांकित व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए।	

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर -

नाम एवं सी.डी.सी. नं. -

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

कार्यालय आदेश संख्या 31 /2026 के अनुसार संशोधित चेक लिस्ट.

दिनांक: 11 AUG 2026

अनुलग्नक 6

पैरा 58-सी (3) के तहत गैर-वापसी योग्य निकासी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची अपनी ज़मीन पर मकान के निर्माण के लिए या अधूरे निर्माण कार्य को जारी रखने के लिए (5 वर्ष की सदस्यता पूरी होने के बाद पात्र – 36 महीने का वेतन + अवकाश वेतन / अथवा नियोक्ता एवं स्वयं के अंशदान का 75%, जो भी कम हो)

क्रं. सं.	संशोधित चेक लिस्ट	टिप्पणी
1	एस.पी.एफ.ओ. पोर्टल https://spfo.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।	
2	सी.डी.सी. बुक (पुरानी / नई) के सभी पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड करें।	
3	ग्राम पंचायत / तहसील कार्यालय / सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड करें।	
4	रद्द किया हुआ बैंक चेक (जिस पर दावेदार का नाम अंकित हो) या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करें।	
5	नाविक का एकल बैंक खाता या नामांकित व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए।	

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर -

नाम एवं सी.डी.सी. नं. -

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

कार्यालय आदेश संख्या 31 /2026 के अनुसार संशोधित चेक लिस्ट.

दिनांक: 11 AUG 2026

अनुलग्नक 7

पैरा 58-सी (1) के तहत गैर-वापसी योग्य निकासी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची हाउस साइट (भूखंड) की खरीद के लिए (5 वर्ष की सदस्यता पूरी होने के बाद पात्र – 36 महीने का वेतन + अवकाश वेतन / अथवा नियोक्ता एवं स्वयं के अंशदान का 75%, जो भी कम हो)

क्रं. सं.	संशोधित चेक लिस्ट	टिप्पणी
1	एस.पी.एफ.ओ. पोर्टल https://spfo.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।	
2	सी.डी.सी. बुक (पुरानी / नई) के सभी पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड करें।	
3	सक्षम प्राधिकारी के पास विधिवत पंजीकृत बिक्री समझौते की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड करें।	
4	रद्द किया हुआ बैंक चेक (जिस पर दावेदार का नाम अंकित हो) या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करें।	
5	नाविक का एकल बैंक खाता या नामांकित व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए।	

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर -

नाम एवं सी.डी.सी. नं. -

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

कार्यालय आदेश संख्या 31 /2026 के अनुसार संशोधित चेक लिस्ट.

दिनांक: 11 AUG 2026

अनुलग्नक 8

58-सी (8) के तहत गैर-वापसी योग्य निकासी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची मकान की मरम्मत / नवीनीकरण के लिए सूची (मकान निर्माण हेतु पहले ली गई निकासी की स्वीकृति के 5 वर्ष पूरे होने के बाद पात्र – स्वयं के अंशदान का 25%)

क्रं. सं.	संशोधित चेक लिस्ट	टिप्पणी
1	एस.पी.एफ.ओ. पोर्टल https://spfo.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।	
2	सी.डी.सी. बुक (पुरानी / नई) के सभी पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड करें।	
3	मकान की मरम्मत के अनुमानित खर्च का स्व-घोषणा पत्र अपलोड करें।	
4	रद्द किया हुआ बैंक चेक (जिस पर दावेदार का नाम अंकित हो) या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करें।	
5	नाविक का एकल बैंक खाता या नामांकित व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए।	

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर -

नाम एवं सी.डी.सी. नं. -

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

कार्यालय आदेश संख्या 31 /2026 के अनुसार संशोधित चेक लिस्ट.

दिनांक: 11 AUG 2026

अनुलग्नक 9

पैरा 58-ई के तहत गैर-वापसी योग्य निकासी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची विवाह / उच्च शिक्षा के लिए (जीवनकाल में 2 से अधिक निकासी नहीं – स्वयं के अंशदान का 50%)

क्रं. सं.	संशोधित चेक लिस्ट	टिप्पणी
1	एस.पी.एफ.ओ. पोर्टल https://spfo.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।	
2	सी.डी.सी. बुक (पुरानी / नई) के सभी पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड करें।	
3	स्वयं या बच्चों की शिक्षा अथवा विवाह के लिए स्व-घोषणा पत्र अपलोड करें।	
4	रद्द किया हुआ बैंक चेक (जिस पर दावेदार का नाम अंकित हो) या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करें।	
5	नाविक का एकल बैंक खाता या नामांकित व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए।	

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर -

नाम एवं सी.डी.सी. नं. -

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

कार्यालय आदेश संख्या 31 /2026 के अनुसार संशोधित चेक लिस्ट.

दिनांक: 11 AUG 2026

अनुलग्नक 10

भविष्य निधि की बकाया अंतिम निकासी के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची (60 वर्ष से अधिक आयु के जीवित नाविक)

अधिवर्षिता / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होने पर सेवानिवृत्ति के लिए

क्रं. सं.	संशोधित चेक लिस्ट	टिप्पणी
1	एस.पी.एफ.ओ. पोर्टल https://spfo.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।	
2	सी.डी.सी. बुक (पुरानी / नई) के सभी पृष्ठों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड करें।	
3	नाविक का एकल बैंक खाता या नामांकित व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए।	
4	सी.डी.सी. बुक और बैंक खाते में नाविक का नाम समान होना चाहिए।	
5	यदि पता नाविक भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड से अलग है, तो ऐसी स्थिति में पते का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।	
6	यह सुनिश्चित करें कि, अंतिम निकासी आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो।	

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर -

नाम एवं सी.डी.सी. नं. -